महत्वपूर्ण

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 224/पी0एस0एम0एच0/2019 लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

विषय : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं हेल्थ एण्ड वेल्नेस सेन्टर्स पर कैम्प आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 03 सितम्बर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लक्षित लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड बनाये जाने हेतु समस्त जनपदों में अभियान चलाया गया था जिसमें कतिपय जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। अभियान के दौरान कार्य योजना बनाते हुए समस्त गांव/वार्ड्स में कैम्प लगाने के निर्देश दिये गये थे जिसमें कामन सर्विस सेन्टर द्वारा लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाये गये। उक्त अभियान के उपरान्त भी लक्षित लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष बनाये गये कुल गोल्डेन कार्ड्स की संख्या संतोषजनक नही है। दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 तक राज्य में लक्षित लाथार्थियों की कुल संख्या 6,32,30,880 के सापेक्ष मात्र 12.2 प्रतिशत लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाये गये हैं। अभी भी 75.5 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी लाभार्थी का गोल्डेन कार्ड नही बना है। 8,673 ऐसे गांव हैं जहां एक भी गाल्डेन कार्ड नही बनाया गया है। यह आवश्यक है कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित सभी लाभार्थियों का सत्यापन करते हुए गोल्डेन कार्ड बनाये जायें जिससे लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स/स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक व्यापक स्तर पर कैम्प लगाकर लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाये जायेगे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

1. समस्त आबद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु प्रत्येक मंगलवार को विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
2. इन कैम्पों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित आयुष्मान क्योस्क में आरोग्य मित्र द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाये जायेगे। ब्लाक के समस्त गांव/शहरी वार्ड के लाभार्थी परिवारों की सूची सम्बन्धित आशाओं को उपलब्ध करायी जा चुकी है। लक्षित लाभार्थियों को कैम्प में आकर गोल्डेन कार्ड बनवाने हेतु क्षेत्रीय ए0एन0एम0, हेल्थ सुपरवाइजर एवं आशाओं द्वारा प्रेरित किया

जायेगा। जिन स्वास्थ्य इकाइयों में कैम्प का आयोजन किया जायेगा उनके निकटवर्ती ग्राम/नगरीय क्षेत्र के बचे हुये लाभार्थी परिवारों के गोल्डेन कार्ड बनवाये जायेंगे।

3. योजनान्तर्गत आबद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु लाभार्थियों से कोई शुल्क नही लिया जायेगा।
4. प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर/स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कामन सर्विस सेन्टर के कर्मियों द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाये जायेगे। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की सूची जनपद प्रबन्धक, सी0एस0सी0 को उपलब्ध कराते हुए इन सेन्टर्स पर कैम्प लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सम्बन्धित गांव/वार्ड के लाभार्थी परिवारों को बुलाकर उन्हें ए0एन0एम0/आशा द्वारा योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा गोल्डेन कार्ड बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्प वाले दिन कम से कम 100 लाभार्थियों के कार्ड अवश्य बनवाये जायें।
5. समस्त जिलाधिकारी अपने नेतृत्व में 31 दिसम्बर, 2019 से पूर्व एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करा लें जिसमें प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कैम्प की तिथि तथा उन तिथियों पर काम करने वाले कामन सर्विस सेन्टर का विवरण अंकित हो। कार्य योजना का कड़ाई से अनुपालन मुख्य चिकित्साधिकारी व उनके अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कामन सर्विस सेन्टर की मोबाइल यूनिट की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. कैम्पों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा। जिले के प्रशासनिक व चिकित्सा विभाग के अधिकारी भ्रमण कर अनुश्रवण करते हुए कैम्प को सफल बनाने का प्रयास करेंगे।
7. ऐसे गांव/वार्ड जहां एक भी गोल्डेन कार्ड नही बनाये गये हैं, उनको कार्ययोजना में प्राथमिकता दी जाये। साथ ही कार्ड बनाने में ऐसे लक्षित परिवारों को भी चिन्हित किया जाये जिनमें एक भी गोल्डेन कार्ड नही बने हैं।
8. जनपद में बनाये गये गोल्डेन कार्ड की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में की जायेगी। पाक्षिक वीडियो कॉनफ्रेन्स में जनपदवार उपलब्धियों की समीक्षा शासन द्वारा की जायेगी। सत्यापित लाभार्थियों के प्रतिशत एवं लक्षित लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष बनाये गये गोल्डेन कार्ड के आधार पर भी मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पत्रांक : /पी0एस0एम0एच0/2019 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सी0ई0ओ0, साचीज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव